बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (बैंगल्स रोड), पटना – 800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217352

फैक्स नं0 :– 0612–2215611

ई–मेल :–ceo_bihar@eci.gov.in

निर्वाचन

अत्यावश्यक

पत्रांक :– बी1–03–109/2025–3068 पटना, दिनांक 19 अगस्त, 2025 ई0।

प्रेषक,

विनोद सिंह गुंजियाल, भा०प्र०से०

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश।

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश (दिनांक 14.08.2025) के आलोक में आवश्यक सूचना प्रकाशित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीसन (एस) (सिविल) सं० (5) 640/2021 एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग में दिनांक 14.08.2025 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में एक अत्यावश्यक आम सूचना जारी की गई है।

उक्त आम सूचना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, आपसे निवेदन है कि उक्त आम सूचना को अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में समाचार पत्रों एवं विभिन्न मीडिया माध्यमों से प्रकाशित एवं प्रसारित कराने की कृपा करें, ताकि संबंधित निर्वाचकों तक समय पर इसकी जानकारी पहुँच सके।

अनु०:–अत्यावश्यक आम सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन

(विनोद सिंह गुंजियाल)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015.

अत्यावश्यक आम सूचना

पटना, दिनांक : 18 अगस्त, 2025 ई०।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीसन (एस) (सिविल) सं० (5) 640/2025 (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में दिनांक 14.08.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे निर्वाचक जिसका नाम वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन के पूर्व) की निर्वाचक सूची में शामिल है परंतु दिनांक 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिला अन्तर्गत विधान सभा एवं मतदान केन्द्रवार कारण सहित (मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित/अनुपस्थित/दोहरी प्रविष्टि) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एवं सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

ऐसे सभी निर्वाचक, जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, अपने ईपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने वाले ऐसे निर्वाचकों से संबंधित सूची सभी प्रखण्ड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों एवं मतदान केन्द्रों पर भी प्रदर्शित की गयी है, जिसके माध्यम से ऐसे निर्वाचक कारण सहित अपनी प्रविष्टि से संबंधित सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

ह०/-
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

Government of Bihar
Election Department
Office of the Chief Electoral Officer, Bihar
7, Mangles Road, Patna-800015

Important Public Notice

Patna, Dated : 18th August, 2025

In light of the order passed by the Hon'ble Supreme Court on 14.08.2025 in Writ Petition (s) (Civil) No. (5) 640/2025 (Association of Democratic Reforms vs. Election Commission of India), it is hereby notified that the list of such electors whose names were included in the Electoral Roll of the year 2025 (before the draft publication) but are not included in the draft roll published on 01.08.2025, along with reasons (Deceased/Permanently Shifted/Absent/Repeated Entry), has been published on the websites of the Chief Electoral Officer, Bihar, and all District Election Officers of the State of Bihar.

All such electors, whose names are not included in the draft roll, may obtain information about their entry and the reasons thereof by using their EPIC number in the published list. The list relating to such electors not included in the draft roll published on 01.08.2025 has also been displayed at all Block Offices, Panchayat Offices, Urban Local Body Offices, and on the polling stations. Through these, such electors can obtain information regarding their entries along with the reasons. Any person dissatisfied may file a claim along with a copy of their Aadhaar card.

Sd/-
Chief Electoral Officer, Bihar